न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 79/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/89)

1. रतनलाल पुत्र हनुमानाप्रसाद 2. मनसाराम पुत्र अमराराम 3. सोहनलाल पुत्र अमराराम 4. रिछपाल पुत्र काशीराम 5. साबहराम पुत्र मनीराम	जाति जाट निवासी डबली बास पैमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाट निवासी डबली बास पैमा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राज.

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री राधाकिशन स्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.04.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चक 15 जे. आर. के. के पत्थर नं. 54/245 (14) के किला नं. 5 में गैर मुमकिन रास्ता 0.038 के अंकन को दुरूस्त किया जाकर 0.038 के स्थान पर 0.025 हैक्टेयर किया जावे एवं मुमकिन 0.228 दर्ज किये जाने के आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिया कि चक 15 जे. आर. के. के पत्थर नं. 54/245 (14) के किला नं. 5 में गैर मुमकिन रास्ता 0.038 के अंकन को दुरूस्त कर 0.038 के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्थान पर 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता एवं 0.228 मुमकिन भूमि दर्ज करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 आपस में भाई – भतीजे रिश्तेदार है तथा चक 15 जे.आर. के के पत्थर नं. 54/245 के विभिन्न किला नंबरो है। वर्तमान में किला नं. 3/.013, 4/.013, 5/.013 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की तरफ तथा किला नं. 5/.025, 6/.025, 15/.025 हैक्टर रास्ता चालू है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने कब्जे के किला नं. 5 की उत्तरी दिशा से पूर्व से पश्चिम की तरफ का .013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता को बंद करवाने के लिए धारा 136 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्थर नं. 54/245 के किला नं. 5 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ .013 हैक्टर गैर मुमकिन चालू रास्ता बंद कर दिया। जिससे सभी अपीलान्टस का खेतो में जाने का रास्ता बंद हो गया। रेस्पोडेन्ट 1 ने एक बार पूर्व में भी उक्त रास्ता बंद कर दिया था। तब अपीलान्टस ने तहसीलदार को रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। हल्का पटवारी द्वारा मौका भी देखा गया था। तब रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वंय रास्ता खोल दिया। सभी पक्षकारान के बीच आम सहमति से यह तय हुआ की कोई भी पक्षकार वर्तमान में चालू रास्ते को आने–जाने से रोकेंगे नही तथा विवाद करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को 50000 रू. मुआवजा अदा करेगा। वास्तव में रास्ते के मामले धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तय किए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का विदाउट ज्यूरि डिकसन है तथा ab inition void है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया। जबकि अपीलान्ट आदेश जैर अपील से प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में रास्ता बंद करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है कानून

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किला नं. 3 व 4 में पहले से ही रास्ता चल रहा है साथ ही अपीलान्टस किला नं. 5 में 0.13 हैक्टर रास्ते के लिए डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाने को भी तैयार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाने के आदेश फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RAJ. LAND Revenue Act sec 136, Board of Revenue for Rajasthan Ajmer Sultan Singh v/s Adram page no. 825 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि आदेश जैर अपील रास्ते के प्रकरण की नहीं होकर मामला दुरस्ती का है, पत्थर नं. 54/245 के मुरब्बा नं. 14 किला नं. 5 में 0.025 हैक्टर रास्ता के स्थान पर 0.038 हैक्टर रास्ता राजस्व रिकार्ड में रणजीत पुत्र मनीराम जो कि हल्का पटवारी के अधीनस्थ कार्य करता था ने कारास्तानी करके बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकार्ड में कांट–छांट करके उक्त 0.025 हैक्टर के स्थान पर 0.038 हैक्टर रास्ते का अंकन कर दिया। जिसकी दुरस्ती के लिए रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें स्टेट का जवाब आने तथा दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो सही है। अपीलान्ट ने अदालतवाला से तथ्यों को छुपाकर गलत आधारो पर अपील पेश की है। अपीलान्ट को अपील पेश करने की लोकस स्टेन्डाई भी नहीं है। अपीलान्ट की मांग रास्ते बाबत राशि जमा कराने हेतु आग्रह किया गया है जो अपीलैट कोर्ट को पावर ही नहीं है। रास्ते का प्रकरण हेतु धारा 251 ए में प्रावधान किया हुआ है। अपीलान्ट अदालतवाला के समक्ष स्वच्छ हाथो व विचारो से नहीं आया है। अपील दर्ज करने के अपने कथन तथा उक्त प्रार्थना पत्र जो लगाया है दोनो में विरोधाभास है। अपीलान्ट आदेश जैर अपील से प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम की जमाबन्दी में दुरस्ती हेतु धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध

अति. संभागीय आयुक्त

कोई अनुतोष नहीं चाहने तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से इनको पक्षकार नहीं बनाया। अतः अपील अपीलान्ट बिना किसी लोकस स्टेन्डाई के अधिकारविहीन होने तथा अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2021 (1) RRT 246 BOARB OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Shambhu Singh vs, Krishna Devi, 2021 (1) RRT 30 RAJASTHAN HIGH COURT Mahaveer Swami vs Smt. Chhoti Devi & ors. का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ में एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर चक 15 जे. आर. के. के पत्थर नं. 54/245 (14) के किला नं. 5 में गैर मुमकिन रास्ता 0.038 के अंकन को दुरूस्त किया जाकर 0.025 हैक्टेयर किया जावे एवं मुमकिन 0.228 दर्ज जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार हनुमानगढ ने अपने पत्र क्रमांक 9409 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा भू.अ. निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अंकित किया कि" दिनांक 04.10.2022 को भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया । मौका पर चक 15 जे आर के प. नं. 54/245 (14) कि.नं. 3, 4 व 5 में मौका पर प्रत्येक में 0.013 रास्ता चल रहा है जो रिकार्ड में दर्ज नही है। 54/245 (14) किला नं. 5/.025 हैक्टेयर रिकार्ड दर्ज है परन्तु सम्वत् 2061 से 2064 में विभाजन इन्तकाल से अमलदरामद होने पर किला नं. 3, 4, 5 में 0.13 हैक्टेयर रास्ता का नोट दर्ज हुआ है वह सहवन से दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट सा. डबलीपेमा द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी अपने खाता में चक 15 जेआरके के प. नं. 54/245 (14) कि. नं. 5 मे वर्तमान रिकार्ड अनुसार 0.215 है. नहरी व 0.038 गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर दुरूस्त करवाकर कि.न. 5/0.228 नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहता

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। " अपीलान्ट का कथन है कि चक 15 जेआरके के प. नं. 54/245 के किला नं. 2 व 9 अपीलान्ट सं. 1, किला नं. 7 व 8 अपीलान्ट सं. 2, किला नं. 14 व 21 अपीलान्ट सं. 3, किला नं. 3 व 4 अपीलान्ट सं. 4, किला नं. 1, 10, व 11 अपीलान्ट सं. 5 के नाम खातेदारी दर्ज है। अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 से खातेदार होना पाया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश मे वर्णित किला नं. 5 के चिपते रकबे के काश्तकार है। इस प्रकार अपीलान्ट्स अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कथन है कि चक 15 जे. आर. के. के मु. नं. 54/245 के किला नं. 5 में 0.228 है. गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर 0.038 के अंकन बिना किसी विधिक आदेश से दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि इसी मुरब्बा के किला नं. 3, 4 जो अपीलान्ट सं. 4 के नाम खातेदारी दर्ज है तथा किला नं. 2 अपीलान्ट सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। किला नं. 1, 2, 3, 4 आवागमन हेतु किला नं. 3, 4, 5 की उत्तरी सीमा मे रास्ता मौके पर चलना पटवारी/तहसीलदार रिपोर्ट से साबित है, प.नं. 54/245 मु. नं. 14 के किला नं. 5, 6, 15, व 16 प्रत्येक में .025 है. भूमि गै. मु. रास्ता पूर्व से रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज–6 /2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसार परम्परागत रूप से चलते हुए रास्तो को खातेदार के खाते में रखते हुए गै. मु. दर्ज करने के प्रावधान है, इस विन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया चूकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट एवं परिपत्र दिनाक 10.08.2016 की विधिवत पालना करते हुए प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिये था, अतः उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2022 को कायम रखा जाना उचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुनकर, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के निर्देशो अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर